कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Power)

- अनुच्छेद - 53
- अनु. 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं According to Article 77, all executive actions of the Government of India are performed in the name of the President.

- वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। He appoints the Prime Minister of India and other key officials of the Union.

विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

- संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य सभा तीनों से मिलकर होता है* (अनुच्छेद-79)

  Parliament is formed by the President, Lok Sabha and Rajya Sabha* (Article 79)

- राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है The President has the power to summon the Parliament and announce its prorogation.

- राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। The President is bound to convene at least two meetings of the Parliament in a year.

Art. 85

राष्ट्रपति → संसद → सत्र/अधिवेशन (session)

↓

बुलाता बुलाते हैं। (called the session by Parliament by the President)

- (1) बजट सत्र — Budget session
- (2) मानसून सत्र — Monsoon session
- (3) शीतकालीन सत्र — winter session

1 वर्ष (years) कम से कम 2 सत्र (Minimum 2 session)

1st session (प्रथम अधिवेशन) ——— IInd session (दूसरा अधिवेशन)

↓

अधिकतम अंतराल (Maximum Gap) ⇒ 6 माह (Months)

सत्र/अधिवेशन का सत्रावसान् (सत्र का अंत करना।)

End of session

अनुच्छेद - 85 - लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है Article 85 - Lok Sabha can be dissolved before its fixed term

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति → लोक सभा भंग (Dissolved)

भंग / निधरन

लोकसभा
↳ कार्यकाल (Tenure)
↳ 5 year

2 साल कार्य

(3) → शेष कार्यकाल (Remaining Tenure)

भंग (Dissolved)

नयी लोकसभा
↳ 5 year

समाप्त (End)
⇓
5 वर्ष पर समाप्त

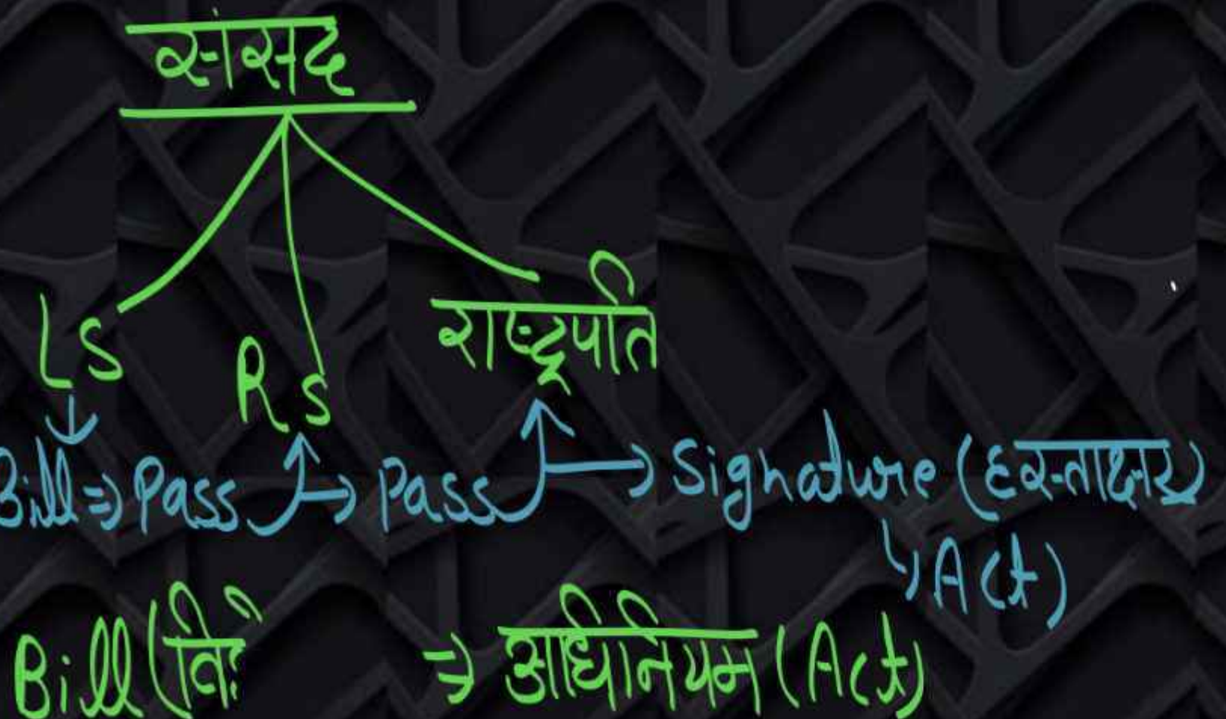
अनुच्छेद – 87 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करता है । Article 87 addresses the joint sitting of the two Houses of the Parliament.

(LS/RS)

अनु. 86 - संसद के किसी सदन को, लम्बित किसी विधेयक के सम्बन्ध में संदेश (Message) भेजने का अधिकार भी है । Article 86- There is also the right to send a message to either House of Parliament regarding a pending bill.

Art. 108 ⇒ राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक (joint session) बुला सकते हैं।

❖ अनुच्छेद-111



Bill ⇒ Signature नहीं करेंगा।

→ पुनर्विचार के लिए वापस (LS/RS)
Reconsider the bill by LS and RS

→ बिल पर कोई प्रतिक्रिया न दें।

संविधान संशोधन विधेयक
(Constitution Amendment Bill)
इस पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।)

1. आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto) ⟹ जब हस्ताक्षर करने मना कर दें।
2. निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)
3. जेबी वीटो (Poket Veto)

↳ जब किसी विधेयक को पुनर्विचार (Reconsider) के लिए LS/RS को वापस कर दें।
↓
लेकिन यदि वह बिल (संशोधन या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो वह हस्ताक्षर (Signature) करने के बाध्य है।

↓ वीटो शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक पर करते हैं।

↓ राष्ट्रपति विधेयक (Bill) को अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं।

↳ इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर किया।

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

- क्षमादान की शक्ति- अनुच्छेद-72 के तहत् राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। Power of Pardon: Under Article 72, the President has been given the power of pardon.

अपराधी (Criminal) → Petition याचिका ⇒ राष्ट्रपति को।

मृत्यु दण्ड (Death of sentence)

↳ को क्षमा (Pardon) करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

- राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलम्बन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है The President can pardon or grant reprieve, remission, respite or commute the punishment of a person convicted of any offence

(1) क्षमा (Pardon) ⇒ किसी भी अपराधी को उसके अपराध की सजा से पूरी तरह मुक्त करना।

(2) प्रविलंबन (Reprieve) ⇒ फांसी की सजा को कुछ समय के लिए निलंबित (suspend) करना।

Remission (परिहार) → अपराधी (Criminal) → 20 वर्ष का कठोर कारावास

→ 10 वर्ष / 5 / 15 वर्ष → कठोर कारावास

→ सजा की अवधि (Duration) में कमी।

लघुकरण (Commute) → अपराधी - 30 वर्ष का कठोर कारावास

(1) → समय अवधि में कमी

(2) कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित

Respite (विराम) → विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सजा को माफ किया जाता है।

- परामर्श का अधिकार- अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Consult) का अधिकार दिया गया है Right to Consultation- Article 143 gives the President the right to consult the Supreme Court

- किन्तु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है But he is not bound to accept the opinion of the Supreme Court

राष्ट्रपति => परामर्श (Consult) → Supreme Court → विधिक मामलों (Legal Matters)

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

- भारत की 'आकस्मिक निधि' (Contingency fund) पर भी उसका नियन्त्रण होता है । He also has control over India's 'Contingency Fund'.

अनु. 280 उसे एक वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त करने का भी अधिकार है Article 280 He also has the power to appoint a Finance Commission

सैन्य शक्तियाँ (Military Powers)

- भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है, The President of India is the Commander-in-Chief of the three armed forces (Army, Air Force and Navy).

- उसे युद्ध घोषित करने तथा शान्ति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। He has the power to declare war and establish peace.

- वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है He also appoints the three army chiefs

राजनयिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)

- राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है Appoints ambassadors and diplomatic representatives

- विदेशों से संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं, Treaties and agreements with foreign countries are also made in the name of the President.

संविधान का भाग - 18,

- अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबन्धों के बारे में है । Part - 18 of the Constitution, from Articles 352 to 360 deals with emergency provisions.
  - भाग - 18, जर्मनी के संविधान से प्रेरित (Inspired) है । Part – 18 is inspired by the Constitution of Germany.

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। यथा Three types of emergencies have been envisaged in the Indian Constitution. As

(i) युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात, (अनु. 352) Emergency arising out of war, external aggression or armed rebellion or a national emergency, (Art. 352)

(ii) राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अथवा राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) Emergency arising out of failure of constitutional machinery in the States, or President's Rule (Art. 356)

(ii) वित्तीय आपात (अनु. 360) I Financial emergency (Art. 360).

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा

(Proclamation of National Emergency)

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनु. - 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गम्भीर आपात विद्यमान है जिसमें, युद्ध (war) या बाह्य आक्रमण (External aggression) या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा (Proclamation) कर सकता है।

The proclamation of national emergency is done by the President under Article- 352. Whenever the President is satisfied that a grave emergency exists in which the security of India or any part of it is in danger due to war or external aggression or armed rebellion, he can proclaim a national emergency in respect of the whole of India or any part of it.

उद्घोषणा का अनुमोदन
(Approval of Proclamation)

- यदि दोनों सदन उद्घोषणा को एक माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं, तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है । किन्तु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है, If both the Houses do not approve the proclamation within a month, the proclamation automatically expires. But if the proclamation is made at that time,

- उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से पारित किया जाता है I) इसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। The resolution approving the proclamation is passed by each House by a majority of its total membership and a two-thirds (2/3) majority of the members present and voting. This is also called special majority.

उद्घोषणा की अवधि

(Period of Proclamation)

- एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है Once approved, the proclamation of emergency remains in operation for 6 months

- उसे 6-माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है Re-approval by both houses of Parliament is required for continuation beyond 6 months

उद्घोषणा की वापसी

(Revocation of Proclamation)

- वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। The recalling proclamation does not require approval by Parliament.

उद्घोषणा का प्रभाव
(Effect of Proclamation)

- संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। वह राज्यसूची (State List) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। The legislative power of the Parliament expands. It can make laws on any subject in the State List.

- संसद द्वारा बनाई गयी विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है A law made by the Parliament expires after six months when the proclamation is no longer in operation

- अनु. 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनु. 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार (Rights of Freedom) स्वतः निलम्बित हो जाता है । According to Article 358, when a proclamation of emergency based on war or external aggression is in operation, the Right to Freedom guaranteed by Article 19 is automatically suspended.

- अनु. 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तित (Enforce) कराने के अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति दी गई है।
- Under Article 359, the President has been given the power to suspend the right to enforce the fundamental rights.

- संसद को यह न अधिकार होता है कि वह एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दे, Parliament has the power to extend the term of the Lok Sabha for one year at a time,

राज्यों में राष्ट्रपति शासन
(President Rule in the State)

- राज्यों में संवैधानिक तंत्र (Consitutional Machinery) विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनु. 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोल-चाल की भाषा में 'राष्ट्रपति शासन कहा जाता है When the constitutional machinery fails in the states, the proclamation issued by the President under Article 356 is commonly known as 'President's rule'.

- यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन (Report) मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है।

If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that the governance of that State cannot be carried on according to the constitutional provisions, he can proclaim President's rule in that State.

उद्घोषणा का अनुमोदन

(Approval of Proclamation)

- प्रत्येक सदन द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत (साधारण बहुमत) से दो माह के भीतर पारित करना होता है* अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। It has to be passed by each House by a majority (simple majority) of the members present and voting within two months* otherwise it lapses automatically.

उद्घोषणा की अवधि

(Period of Proclamation)

- यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से दो माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो ऐसी उद्घोषणा 'जारी किये जाने की तिथि से 6 माह तक' प्रवर्तन में रहती है। If both Houses of Parliament approve it by a simple majority within two months, such a proclamation remains in operation for 'six months from the date of its issue'.

- संसद के पुनः अनुमोदन से उद्घोषणा की अवधि 6-6 माह बढ़ायी जा सकती है, किन्तु उसे किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता है। With the re-approval of the Parliament, the period of the proclamation can be extended by 6-6 months, but in no case it can be kept in operation for a period more than 3 years.

उद्घोषणा का प्रभाव
(Effect of Proclamation)

- राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जायेंगी । The powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament.

वित्तीय आपात (Financial emergency)

- संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपात' के नहीं बारे में प्रावधान किया गया है । Provision for 'financial emergency' has been made under Article 360 of the Constitution.

- यह राष्ट्रपति वित्तीय आपात की कर्भ उद्घोषणा कर सकता है, यदि उसको यह समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख (Financial शक्ति or Credit) संकट में है । The President can declare a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen which endangers the financial stability or credit of India or any part of its territory.

उद्घोषणा की अवधि (Period of Proclamation)

- यदि संसद साधारण बहुमत से दो माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। If the Parliament approves the proclamation with a simple majority two months before, it will remain in force indefinitely.

उद्घोषणा का प्रभाव (Effect of Proclamation)

- किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। The salaries and allowances of all or any class of persons serving under a State may be reduced.

- संघ के अधीन सेवा करने वाले किसी या सभी व्यक्तियों (जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है।) के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है । The salaries and allowances of any or all persons serving under the Union (including Judges of the Supreme Court and of the High Courts) may be reduced.